

कार्यवृत्त
बुधवार, 08 चैत्र, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 21 मार्च, 2018)

खण्ड-50
अंक-2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य नियम-310 के अन्तर्गत गैरसैण को स्थायी राजधानी घोषित किये जाने की मांग करते हुए जोर-जोर से अपनी-अपनी बात कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हुए 'वेल' पर आ गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न काल चलने दीजिये। उसके पश्चात विपक्ष द्वारा दी गयी नियम-310 की सूचना को वे नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। मा0 नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर विपक्ष के मा0 सदस्य वापस अपने स्थान पर आ गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे। इस पर मा0 अध्यक्ष ने विपक्ष के मा0 सदस्यों से पुनः आग्रह किया कि प्रश्नकाल चलने दें।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300के अन्तर्गत 11 सूचनार्यें प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 07 सूचनार्यें स्वीकार कर रहे हैं।

1. श्री नवीन चन्द्र दुम्का विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत गोठ, खत्तों आदि में पेयजल हैण्डपम्प/ आर्टीजन/रोशनी संयोजन साधन सुविधा देने के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैण पी0पी0पी0 मोड के करार को आगे बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री संजय गुप्ता विधान सभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम पंचवली के पंचलेश्वर महादेव मन्दिर के पास राजकीय महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में।
(पढ़ी हुई मानी गयी)
4. श्री दीवान सिंह बिष्ट विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत हाथीडुंगर से ढेलापुल तक मोटर मार्ग के जीर्ण-शीर्ण होने के सम्बन्ध में।
(पढ़ी हुई मानी गयी)
5. श्री शक्ति लाल शाह विधान सभा क्षेत्र घनसाली के लाटा-कांगड़ा मोटर मार्ग पर कई वर्षों बाद भी कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में। (श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)
6. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत में क्वैरैला पेयजल योजना के निर्माण में हो रही देरी से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
(पढ़ी हुई मानी गयी)
7. श्री महेश सिंह नेगी विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत चौखुटिया में तड़ागताल झील का निर्माण कार्य न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्यमंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2016-17 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने “जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने “वर्ष 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण” सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि:-

- (1) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का पहला अधिनियम बन गया।
- (2) उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का दूसरा अधिनियम बन गया।
- (3) उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियम और सेवा-शर्त) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तीसरा अधिनियम बन गया।
- (4) उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का चौथा अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का पाचवां अधिनियम बन गया।
- (6) सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का छठा अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का सातवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड (उ0प्र0 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का आठवां अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का नवां अधिनियम बन गया।

- (10) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का दसवां अधिनियम बन गया।
- (11) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।
- (12) सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का बारहवां अधिनियम बन गया।

श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के ग्राम-पंचायत सेरागांव के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 चौकी चुंगी चामासारी के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कृपाल जवाड़ी रतन, ग्राम-सेरागांव, पो0- सहस्त्रधारा, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत चूला-गबनी मोटर मार्ग निर्माण कार्य में विभाग व ठेकेदार द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में” श्रीमती जसोदा देवी, अध्यक्ष महिला मंगल दल चुला (चमोली) जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के पतलोट स्थित टेलीफोन टावर में 3 जी0 सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में” श्री रघुवीर सिंह, पुत्र बीर सिंह, ग्राम ल्वाड़ (पतलोट) एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के रामगढ़ ब्लॉक के सतबुंगा (कपुवा) पशु अस्पताल के स्टाफ के अभाव के सम्बन्ध में” श्री गणेश गौड़ पुत्र बच्ची सिंह, ग्राम सतबुंगा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम सभा ककोड़ के ककोड़ गाजा में अनुसूचित टोक से मेवाड़ी गाजा की ओर सिंचाई गूल व टैंक स्वीकृति के सम्बन्ध में” श्री डुंगर सिंह पुत्र हर सिंह, ग्राम सभा ककोड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ककोड़ में पशु अस्पताल के सम्बन्ध में” श्री डिकर सिंह पुत्र रूप सिंह, ग्राम सभा ककोड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ब्लॉक ओखलकाण्डा के ग्राम तल्ला अमजड़ में प्रा0 पाठशाला के उच्चीकरण के सम्बन्ध में” श्री प्रकाश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, ग्राम अमजड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत भीड़ापानी पतलोट, लूगड़, में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में” श्री प्रताप पडियार पुत्र त्रिलोक सिंह, ग्राम भीड़ापानी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा अमजड़ ब्लॉक ओखलकाण्डा में पत्थरखानी से मेलाचौड़ रिगौनिया पेयजल योजना के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में” श्री रमेश सिंह पुत्र ध्यान सिंह, ग्राम अमजड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ग्राम मीडार-तल्ला अमजड़ ब्लाक ओखलकाण्डा में मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, ग्राम अमजड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र धनोली के विकासखण्ड जौनपुर के भद्रीगाड़ में दैवीय आपदा में बहे पुलों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री सरदार सिंह पुत्र अमर सिंह, ग्राम खासकोटी पो० श्रीकोट, विकासखण्ड जौनपुर, जिला टिहरीगढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम-ककोड़ में किवानी गाड़ से कलोटा सिंचाई गूल ठीक कराने के सम्बन्ध में” श्री ललित सिंह पुत्र नैन सिंह, ग्राम ककोड़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र धनोली के विकासखण्ड जौनपुर में प्रसिद्ध पर्यटक/तीर्थ स्थल नागटिब्बा को पर्यटन स्थल घोषित कर मूल-भूत सुविधाओं का विकास करने के सम्बन्ध में” श्री बलवीर सिंह रावत पुत्र रूपचन्द्र रावत, ग्राम भटवाड़ी पो० श्रीकोट (जौनपुर), जिला टिहरीगढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र भीमताल के रामगढ़ ब्लाक में ऐलोपैथिक अस्पताल सतबुंगा की छत जो एक साल से उड़ी हुई है उसे ठीक करने के सम्बन्ध में” श्री बच्ची सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, ग्राम सतबुंगा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के मैगड़ी स्टेट में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में” श्री दान सिंह पुत्र श्री डुंगर सिंह, ग्राम व पो० पिग्लो जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र द्यौनाई के उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम व पो० द्यौनाई जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोली के विकासखण्ड जौनपुर में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज श्रीकोट, तहसील नैनबाग, के भवन निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री लोकेन्द्र लेखवार पुत्र श्री तुलाराम, ग्राम कोटी पो० श्रीकोट विकासखण्ड जौनपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-क्वादपुर लोदीवाला में आन्तरिक सड़क क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में” श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह निवासी क्वादपुर लोदीवाला पो० झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-बन्दाखेड़ी में भूजल विषैला होने के सम्बन्ध में” श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री पाल सिंह, ग्राम बन्दाखेड़ी पो० नन्हेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-गदरजुड़ा में राजबाहे पुल का चौड़ीकरण एवं राजबाहे पर स्लैब डालने के सम्बन्ध में” श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, ग्राम गदरजुड़ा पो० मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सरकड़ी ताहरपुर से माधोपुर जाने वाली सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री दानिश गौड़ पुत्र श्री अफजल गौड़, ग्राम सरकड़ी ताहरपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-कमेलपुर में 30 वर्षों से चकबन्दी न होने के सम्बन्ध में” श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री कलीराम, ग्राम कमेलपुर, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र में झबरेड़ा से रुड़की रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री विपिन गर्ग पुत्र श्री रामकुमार, ग्राम व पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 73 में ग्राम माधोपुर के वासियों के लिए अंडरपास बनाने के सम्बन्ध में” श्री मांगे राम पुत्र श्री शान्ता प्रसाद, ग्राम माधोपुर, पो0 सालियर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-भिस्तीपुर में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री सतपाल पुत्र श्री केशरिफ, ग्राम भिस्तीपुर, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-कोटवाल आलमपुर के बीचों बीच गुजर रहे राजवाहे में बच्चों के डूब कर मरने के सम्बन्ध में” श्री राजवीर पुत्र श्री साधुराम, ग्राम कोटवाल आलमपुर, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम- नजरपुर से होकर गुजर रहे नाले के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में” श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अमीचन्द, ग्राम नजरपुर, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

12 बजकर 45 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम क्वादपुर लोदीवाला में मन्दिर के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री चांदपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह, ग्राम क्वादपुर लोदीवाला, पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-डेलना में श्मशान घाट की चारदीवारी के सम्बन्ध में” श्री सोमपाल पुत्र श्री आशाराम, ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सरकड़ी ताहरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में” श्री हसीन अल्वी पुत्र श्री मुनफैत अल्वी, ग्राम सरकड़ी ताहपुर, पो0 सलेमपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-खडखडी दयाला में अम्बेदकर पार्क के सौन्दर्यकरण के सम्बन्ध में” श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री बाबू सिंह, ग्राम खडखडी दयाला, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-नगला ऐमाद गांव से कुरडी गांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री आत्माराम पुत्र श्री रतन सिंह, ग्राम नगला ऐमाद, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-शेरपुर खेलमऊ में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री प्रदीप पुत्र श्री सूधल, ग्राम व पो0 शेरपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हिराहेड़ी में मेन सड़क से अकबरपुर फाजिलपुर लिंक रोड सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कल्लू पुत्र श्री ईशम सिंह, ग्राम व पो0 हिराहेड़ी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-डेलना के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्टाफ की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में” श्री कलवा पुत्र श्री शिवकुमार, ग्राम डेलना, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-लाठरदेवा हूण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग की मरम्मत के सम्बन्ध में” श्री फूल कुमार पुत्र श्री शेरसिंह, ग्राम लाठरदेवा हूण, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-साढोली में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री दिलेराम, ग्राम साढोली, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सैदपुरा में मंगलोर नहर के पुल से सैदपुरा गांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में” श्री धर्मपाल पुत्र श्री मोहरसिंह, ग्राम सैदपुरा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक स्थित चिखटिया कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में” श्री प्रदीप पंवार, ग्राम त्यूंखर, जिला रुद्रप्रयाग वि०ख०जखोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली स्थित ग्राम काण्डा भरदर में सिंचाई हौज एवं गूल निर्माण के सम्बन्ध में” श्री मकर सिंह भण्डारी, ग्राम काण्डा, जिला रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि स्थित हाई स्कूल तूना के उच्चीकरण के सम्बन्ध में” श्री जगमोहन रावत, ग्राम तूना, पोस्ट सुमेरपुर, जिला रुद्रप्रयाग विकासखण्ड अगस्त्यमुनि एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कारण तूना में क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल के सम्बन्ध में” श्री जगमोहन सिंह, ग्राम तूना, पोस्ट सुमेरपुर, जिला रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि स्थित पट्टी बच्छणस्यूं में 25 बैड के एलोपैथिक चिकित्सालय निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सुरेन्द्र जोशी, ग्राम नरकोटा, जनपद रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के तल्लानागपुर पेयजल योजना फेज-2 के सम्बन्ध में” श्री घनश्याम पुरोहित, ग्राम सणगू, जिला रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडवथली में निर्माण निगम द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कई वर्षों से पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में” श्री कृपाल सिंह, ग्राम धारकोट, पोस्ट धारकोट, जिला रुद्रप्रयाग विकासखण्ड जखोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा “जनपद चमोली के विकास-खण्ड दशोली के ग्राम दोगड़ी काण्डई में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में” श्री महानन्द बिष्ट, ग्राम काण्डाई, पोस्ट टंगसा, दशोली जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के सभी मा0 सदस्य एन0एच0-74 की जांच सी0बी0आई0 से कराने की मांग करने लगे। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि इसका परीक्षण करा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने परीक्षण कराने पर आपत्ति व्यक्त की। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सदन में कहीं बात आश्वासन का रूप ले लेती हैं।

संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य एन0एच0- 74 की सी0बी0आई0 की जांच करने की मांग करते हुए ‘वेल’ में आ गये, जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य ही पर्यटन मंत्री ने “उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही पर्यटन मंत्री ने “उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

01 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठसीन हुए।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने “पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने “पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही उच्च शिक्षा मंत्री ने “उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही उच्च शिक्षा मंत्री ने “उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही उच्च शिक्षा मंत्री ने “उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही उच्च शिक्षा मंत्री ने “उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही उच्च शिक्षा मंत्री ने “उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही उच्च शिक्षा मंत्री ने “उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही पशुपालन मंत्री ने “उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही पशुपालन मंत्री ने “उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही पर्यटन मंत्री ने “उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018” पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही पर्यटन मंत्री ने “उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य ही संसदीय कार्यमंत्री ने “उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित किया।

मा० संसदीय कार्यमंत्री के आग्रह पर विपक्ष के सभी मा० सदस्य अपने स्थान पर चले गये। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर परीक्षण करा लेंगे। उन्होंने कहा कि सदन में कही बात सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं है पीठ से निर्देश हुए हैं कि परीक्षण करा लेंगे।

01 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

गैरसैन को स्थायी राजधानी घोषित किये जाने विषयक नियम-310 की सूचना को नियम- 58 में ग्राह्यता के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा, काजी मौ० निजामुद्दीन, श्री हरीश सिंह, श्री मनोज रावत, श्रीमती ममता राकेश, श्री फुरकान अहमद श्री आदेश चौहान तथा नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। मा० सदस्यों को सुनने के पश्चात मा० अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्रहय किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 में 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से वे 05 सूचनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

ऑल वैदर रोड परियोजना के अन्तर्गत चम्बा-धरासू मोटर मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जा रही भूमि/सम्पत्तियों की दरों में भारी अन्तर आने के कारण काश्तकारों में भारी रोष उत्पन्न होने की स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्रहय किया।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला को नैटवर्किंग से आच्छादित करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्रहय किया।

सौणी गांव (मोरी विकास खण्ड) में हुए भीषण अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्रहय किया।

04 बजकर 11 मिनट पर मा० उपाध्यक्ष पीठसीन हुए।

जनपद हरिद्वार के दुधारु पशुओं में खुरपका-मुहपका बिमारी के प्रकोप के सम्बन्ध में माननीय सदस्य काजी मौ० निजामुद्दीन द्वारा विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री उपाध्यक्ष ने सूचना को अग्रहय किया।

प्राथमिक कृषि ऋण सरकारी समितियों (PACS) का स्वरूप बदलकर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि स0समिति लि0 के नाम से आदर्श उपविधियां बनाकर उनका निबन्धन कर स्वरूप बदले जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री मनोज रावत एवं माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल द्वारा विचार व्यक्त किये। माननीय सहकारिता मंत्री के उत्तर भाषण के मध्य **04 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठसीन हुए।** माननीय सहकारिता मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नियमतः बजट पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी को सदन में उपस्थित रहना चाहिये। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि चर्चा अभी प्रारम्भ हो रही है सक्षम अधिकारी सदन में उपस्थित हैं।

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 को दिये गये अभिभाषण के लिये कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश के भाषण से उक्त प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुई।

तत्पश्चात् धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री प्रस्ताव ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय। विधेयक पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 में कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :-

मा0 सदस्य श्री सुरेश राठौर की सूचना जो उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने व रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम - 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र धारी के विकास खण्ड धारी में लम्बित देवनगर पलड़ा पेयजल योजना के सम्बन्ध में है, को नियम - 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।